सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पीठासीन अधिकारीः— **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **283/2017** दायर दिनाँक **06.10.2017**

वादीनी		प्रतिवादी
1. किशनगोपाल पुत्र मिश्रीलाल, उम्र—46साल, जाति—महाजन, निवासी—डसानाखुर्द, हाल,निवासी—शास्त्री कॉलोनी, बोरावड़, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत् रिकॉर्ड दुरस्ती व घोषणा खातेदारी,
अन्तर्गत धारा— 136, 88 R.T.Act.

उपस्थित :—

1. श्री विरेन्द्रसिंह राठौड़, अधिवक्ता, वादी।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक **05.02.2018**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, शरहद डसानाखुर्द में खेत खसरा नम्बर 187/221 रकबा 38.04 बीघा में वादी व वादी के भाईयों की सयुक्त खातेदारी व कब्जाकाश्त है। नकल पेश है।

वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी के पिता के देहान्त के बाद सहवन से वादी का नाम किशनगोपाल की जगह केशरी मल दर्ज कर दिया गया, चूँकि वादी को बचपन में वादी को केशरीमल के नाम से पुरारा जाता था परन्तु आगे चल कर वादी का नाम किशनगोपाल ही रहा व इसी अनुरूप वादी का नाम खातेदारी में दर्ज होना था। लेकिन भूलवश ऐसा नहीं हुआ।

राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम केशरीमल होने से वादी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए वादी का नाम "केशरीमल" के स्थान पर "किशनगोपाल" दुरस्त करवाने के लिए यह वाद पेश करना लाजमी आया है।

बिनाय दावा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी, वादी का सही नाम किशन गोपाल होने से तथा अभी हाल में वादी को अपने नाम किशन

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

गोपाल की जगह की जगह वाकै शरहद डसानाखुर्द में वादग्रस्त की संयुक्त खातेदारी में केशरीमल दर्ज होने की सदभावी जानकारी होने से तत्पश्चात् वादी को काफी परेशानियों का सामना करने से व इस बाबत् अपने नाम को सही तरीके से अंकित करवाने के तहसीलदार को कहने से तथा प्रतिवादी द्वारा वादी को नाम दुरस्त न करवाने से निरन्तर वाद कारण उत्पन्न हो रहा है।

प्रार्थना वादी है कि–

वाकै शरहद डसानाखुर्द में स्थित संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 187/221 रकबा 38.04 बीघा में भूलवश दर्ज वादी का नाम "केशरीमल" को रिकॉर्ड से हटाया जाकर वादी के सही नाम की खातेदारी "किशन गोपाल" घोषित की जाकर तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त किया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाने का आदेश पारित किया गया।

वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य में, वाद के साथ वाद के समर्थन में अपनी ओर से शपथ–पत्र, दरख्वास्त हस्ब धारा 80(2) व्य.प्र.सहिता, जमाबन्दी (खतौनी) ग्राम डसाणाखुर्द सम्वत् 2072–2075 खेवट संख्या 189/169 खसरा नम्बर 187/221 रकबा 38.04 बीघा की प्रमाणित प्रतिलिपि, भारत–सरकार द्वारा जारी आधार संख्या 732625917872 नाम– किशनगोपाल की छायाप्रति, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान –पत्र संख्या RFP/0040089 निर्वाचक का नाम– किशन गोपाल की स्वप्रमाणित, परिवार राशन–कार्ड संख्या 02992 की स्वप्रमाणित छायाप्रति, पेश की है।

विद्वान वकील वादी की सारगर्भित एकपक्षीय बहस सुनी गयी। वकील वादी की बहस मुख्यतः वाद पर आधारित रही। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

वकील वादी ने अपनी एकपक्षीय बहस के दौरान कथन किया कि, शरहद डसाणाखुर्द में खसरा नम्बर 187/221 रकबा 38.04 बीघा के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम केशरीमल दर्ज है। वादी के अन्य दस्तावेजात् में किशन गोपाल दर्ज है। इस प्रकार भिन्न–भिन्न प्रवृष्टि की

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

वजह से वादी को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है जिसको निवारण हेतु वादी के अन्य दस्तावेजात् में वादी का जो नाम किशन गोपाल दर्ज है उसी अनुरूप वादी की वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में भी वादी का नाम किशन गोपाल ही दुरस्त किया जावे। वादी के वाद का किसी पक्षकार द्वारा खण्डन नहीं किया गया है। वादग्रस्स्त भूमि में वादी अपना नाम "किशन गोपाल" दुरस्त करवाना चाहता है। ऐसी स्थिति में खसरा नम्बर 187/221 में वादी का वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नाम केशरीमल के स्थान पर किशन गोपाल दुरस्त किया जाना हमारे मत न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वाद वादी, वादी के पक्ष में डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्व दावा डिक्री सादिर कर शरहद डसाणाखुर्द में खसरा संख्या 187/221 रकबा 38.04 में, वादी का वर्तमान में दर्ज नाम "केशरीमल पुत्र मिश्रीलाल" के स्थान पर "किशन गोपाल पुत्र मिश्रीलाल" दुरस्त किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 05.02.2018 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः **283/2017** दायर दिनाँक **06.10.2017**

वादीनी		प्रतिवादी
1. किशनगोपाल पुत्र मिश्रीलाल, उम्र–46साल, जाति–महाजन, निवासी–डसाणाखुर्द, हाल,निवासी–शास्त्री कॉलोनी, बोरावड़, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत् रिकॉर्ड दुरस्ती व घोषणा खातेदारी,
अन्तर्गत धारा– 136, 88 R.T.Act.

दिनाँक **05.02.2018**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री विरेन्द्रसिंह राठौड़, अधिवक्ता, वादी ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्ब दावा डिक्री सादिर कर शरहद डसाणाखुर्द में खसरा संख्या 187/221 रकबा 38.04 में, वादी का वर्तमान में दर्ज नाम "केशरीमल पुत्र मिश्रीलाल" के स्थान पर "किशन गोपाल पुत्र मिश्रीलाल" दुरस्त किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो।

मीज.....–..... मुबलिंग.....–..... बाबत.....
.....–.....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.....–..... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **05.02.2018** को जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांकः–283–2017/रीडर/2018/136 दिनाँक 6/2/18

प्रेषितिः–

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः –निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा बाबत् रिकॉर्ड दुरस्ती व घोषणा खातेदारी,
अन्तर्गत धारा– 136, 88 R.T.Act.

वादीनी		प्रतिवादी
1. किशनगोपाल पुत्र मिश्रीलाल, उम्र–46साल, जाति–महाजन, निवासी–डसानाखुर्द, हाल,निवासी–शास्त्री कॉलोनी, बोरावड़, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner